न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी	–	श्री हेतराम मूंड, आर.जे.एस.
प्रकरण संख्या	–	567/2021
सीआईएस संख्या	–	720/2017
CNR No.	–	RJHG120015692017
एफआईआर संख्या व पुलिस थाना	–	376/2017 पुलिस थाना रावतसर

राजस्थान राज्य बनाम भजनलाल

अपराध अंतर्गत धारा **279, 336, 427 भारतीय दण्ड संहिता**

भाग प्रथम

क

परिवादी	मघाराम पुत्र गुगनराम, निवासी चाईया, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	भजनलाल पुत्र बीरू राम, निवासी चक 25 पीटीडी रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री जितेन्द्र सिंह जोधा, श्री हनुमान शर्मा

ख

अपराध की दिनांक	25–07–2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	25–07–2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12–09–2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12–09–2017 को मौखिक
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	14–10–2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	28–07–2026
निर्णय दिनांक	28–07–2026
सजा आदेश यदि हो तो	––––––––

ग

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश
1–	भजनलाल	–	12–09–17	279, 336, 427 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	–––

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 1	जसवंत	ट्रक को सुपुर्दगी पर लेकर मालखाना में इन्द्राज करने व सुपुर्द करने बाबत
पी.डब्ल्यू. 2	मांगीलाल	आहत
पी.डब्ल्यू. 3	हरदेव	स्वतंत्र गवाह, पक्षद्रोही
पी.डब्ल्यू. 4	कालूराम	स्वतंत्र गवाह, पक्षद्रोही
पी.डब्ल्यू. 5	महेन्द्र कुमार	आहत
पी.डब्ल्यू. 6	मघाराम	परिवादी, आहत
पी.डब्ल्यू. 7	छोटूराम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 8	दीपक नागपाल	वाहन मालिक

ब–बचाव गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	गवाह का नाम	गवाह की प्रकृति
––––––––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	मालखाना रजिस्टर की प्रति
2.	प्रदर्श पी 2	पुलिस बयान हरदेव
3.	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी 3 ए	हालात मौका घटनास्थल
5.	प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान कालूराम
6.	प्रदर्श पी 5	फर्द जब्ती दुर्घटनाकारित वाहन ट्रक
7.	प्रदर्श पी 6	लिखित रिपोर्ट
8.	प्रदर्श पी 7	चाक एफआईआर
9.	प्रदर्श पी 8	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––––––––––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––––––––––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण

निर्णय **दिनांक– 28–07–2026**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 25–07–2017 को परिवादी श्री मघाराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना रावतसर पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि ''ग्राम चाईया में नोहर–रावतसर रोड़ पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति चाईया द्वारा चार दुकानें बना रखी है। उक्त दुकानों में से एक दुकान में प्रार्थी ने जमींदारा मेडिकल स्टोर के नाम से दवाइयों की दुकान कर रखी है। आज सुबह करीब समय 4 एएम पर ट्रक नम्बर आरजे 07 जीसी 2655 के चालक ने तेज व लापरवाही से उक्त ट्रक को चलाकर उक्त चारों दुकानों में टक्कर मारकर उक्त ट्रक को दुकानों में घुसा दिया, जिससे उक्त चारों दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई तथा दुकानों में रखा सामान भी नष्ट हो गया। उक्त घटना को विनोद व हरदेव ने अपनी आंखों से देखा और वे भागकर ट्रक के पास गये तब तक ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। विनोद कुमार ने उक्त घटना की सूचना प्रार्थी को दी..आदि।'' उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रावतसर पर एफआईआर संख्या 376/2017 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त भजनलाल के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 336, 427 भारतीय दण्ड संहिता का प्रसंज्ञान लिया गया।
2. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।
3. अभियोजन की ओर से अभियोग को साबित करने के लिये कुल 08 गवाह मौखिक साक्ष्य में परीक्षित हुए व दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये, जिनका पूर्व में विवरण दिया जा चुका है। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।
4. अभियोजन द्वारा लेखबद्ध करवाई गई साक्ष्य का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत् अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने के संबंध में कथन किये तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।
5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि यदि एक भी विश्वसनीय गवाह के द्वारा ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो तो मात्र उसी के बयानों के आधार पर मुलजिम की दोषसिद्धि पूर्णतः संभव है, इसलिये अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे, उक्त तर्कों के समर्थन में सम्मानित न्यायिक दृष्टांत Chittar Lal v. State of Rajasthan, AIR 2003 SC 3590, 2003(1) Suppl. SCR 633, 2003(6) SCC 397, 2003(5) SCALE 327, 2003(7) JT 270 पेश किया। जबकि इसके विपरीत मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मुलजिम को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिये अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।
6. उभयपक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में इस प्रकरण के निर्णय के लिये विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

    1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25–07–2017 को समय सुबह के करीब 4.00 ए.एम. पर ग्राम चाईया में नोहर–रावतसर रोड़ पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति चाईया पर ट्रक संख्या आरजे 07 जीसी 2655 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए व उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हुए परिवादी/मजरूबान

की दुकानों के ट्रक से टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न किया व दुकानों का सामान तोड़कर रिष्टि कारित की?

2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन व विवेचन किया जाना नितांत आवश्यक है। अब यदि अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य आई है, उसका अवलोकन किया जाये तो हस्तगत प्रकरण परिवादी मघाराम द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 के आधार पर दर्ज हुआ है। प्रकरण का परिवादी मघाराम पीडब्ल्यू 6 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपने बयानों में दिनांक 25–07–17 को सुबह चार बजे एक ट्रक नम्बर आरजे 07 जीसी 2655 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर दुकानों के टक्कर मार देने, जिससे दुकानों का नुकसान होने, उक्त घटना को विनोद व हरदेवराम द्वारा देखने, उनके द्वारा इसे सूचना देने, इसके द्वारा मौके पर पहुंचने व सभी दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी होने बाबत देखने व अंदर रखा सामान भी नष्ट हो जाने के संबंध में कथन किये हैं।

8. अब यदि गवाह पीडब्ल्यू 2 मांगीलाल के बयानों का अवलोकन किया जाये तो इसने अपने बयानों में सुबह चार बजे इसके पास मघाराम का फोन आने कि एक ट्रक ने दुकानें तोड़ दी है व ट्रक दुकानों में घुस गया है, जिस पर इसके मौके पर जाकर देखने की ट्रक नम्बर 2655 दुकान में घुसा हुआ था, जिससे दुकान की दीवारे व छत टूट गई थी। ट्रक को टक्कर मारते विनोद द्वारा देखने, जिसके द्वारा सूचना देने, चालक के मौके पर नहीं होने, बाद में पता चलने कि इस ट्रक का चालक भजनलाल होने के संबंध में कथन किये हैं।

9. अब यदि गवाह पीडब्ल्यू 5 महेन्द्र कुमार के बयानों का अवलोकन किया जाये तो इसने अपने बयानों में एक सुबह इसके पास हरदेव का फोन आने, जिसके द्वारा एक ट्रक द्वारा इनकी दुकान में टक्कर मार देने का बताने, तब इसके मौके पर जाने तो देखने की इसकी व मघाराम की दुकान के अंदर ट्रक घुसा हुआ होने, जिससे दुकानों की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने, उक्त ट्रक के नम्बर आरजे 07 जीसी 2655 होने, पास में हरदेव की सब्जी की दुकान होने, जिसके द्वारा घटना होते हुए देखने व इन्हें फोन कर बुलाने, यह ट्रक भजनलाल द्वारा चला रहे होने के संबंध में कथन किये हैं।

10. अब यदि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह परिवादी पीडब्ल्यू 6 मघाराम, पीडब्ल्यू 5 महेन्द्र कुमार व पीडब्ल्यू 2 मांगीलाल से मुलजिम के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाये तो उक्त गवाहों की जिरह के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त गवाहों में से कोई भी गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि उक्त समस्त गवाह अभियुक्त द्वारा ही घटना कारित की हो, के संबंध में मात्र सुनी–सुनाई बात के आधार पर ही साक्ष्य दे रहे हैं।

11. इसके अतिरिक्त यह कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 का अवलोकन किया जाये तो उसमें घटना विनोद व हरदेव द्वारा देखने के संबंध में तथ्य अंकित हैं। गवाह पीडब्ल्यू 6 मघाराम द्वारा भी अपने बयानों में घटना विनोद व हरदेव द्वारा देखने के संबंध में कथन किये हैं। गवाह पीडब्ल्यू 2 मांगीलाल व पीडब्ल्यू 5 महेन्द्र के बयानों का अवलोकन करें तो उन्होंने भी घटना विनोद व हरदेव द्वारा देखने के संबंध में कथन किये हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह विनोद व हरदेव

ही थे। उक्त दोनों गवाहों में से विनोद के फौत होने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। जबकि हरदेव पीडब्ल्यू 3 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी व अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के कथनों का समर्थन नहीं किया है।

12. इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 4 कालूराम जो कि न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

13. इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू 8 दीपक नागपाल के बयानों का अवलोकन किया जाये तो यह गवाह दुर्घटनाग्रस्त वाहन ट्रक का मालिक है, जो न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में इसके ट्रोले का एक्सीडेण्ट होने, एक्सीडेण्ट कैसे हुआ इसे ध्यान नहीं होने, ना ही इसे ध्यान होने कि एक्सीडेण्ट के समय ट्रोला का चालक कौन था। इस प्रकार इस गवाह ने पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

14. अब यदि प्रकरण के अन्य गवाहों के बयानों का अवलोकन किया जाये तो गवाह पीडब्ल्यू 1 जसवंत दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेकर मालखाना में इन्द्राज करने व वाहन को सुपुर्दगी पर देने का गवाह होकर व गवाह पीडब्ल्यू 7 छोटूराम अनुसंधान अधिकारी होकर औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं।

15. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मात्र धारा 133 एम.वी. एक्ट नोटिस के आधार पर अभियुक्त को प्रकरण में संलिप्त किया है। न्यायालय के विनम्र मत में मात्र धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि नोटिस 133 एम.वी. एक्ट का गवाह पीडब्ल्यू 8 दीपक नागपाल पक्षद्रोही घोषित होकर उक्त नोटिस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त भजनलाल ही वरवक्त दुर्घटना ट्रक नम्बर आरजे 07 जीसी 2655 का चालक हो और उक्त दुर्घटना उसकी उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई हो व उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप रिष्टी कारित हुई हो।

16. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त पक्ष के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को पूर्णतया संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

17. अतः अभियुक्त भजनलाल पुत्र बीरू राम, निवासी चक 25 पीटीडी रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 336, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संपुष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन धारा 437(क)दंड प्रक्रिया संहिता/481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंध–पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन या अन्य कोई वजह सबूत, यदि सुपुर्दगी पर नहीं दिया गया है तो बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में उनका

नियमानुसार निस्तारण किये जाने बाबत संबंधित को तहरीर जारी हो एवं यदि कोई वजह सबूत या वाहन सुपुर्दगी पर दिया गया है तो उसका सुपुर्दगीनामा-जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि, अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

20. निर्णय आज दिनांक 28-07-2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(हेतराम मूंड, आरजेएस)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रावतसर

SUNIL KUMAR

Steno Grade III
''Authenticated Document
Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.28 15:57:55 +0530